

# Order Sheet [Contd]

Case No 178/2017 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
11-05-2017	<p>आवेदक/आरोपी उदयसिंह की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आरक्षी केन्द्र मालनपुर जिला भिण्ड से अप0क0 43/17 धारा 302, 34 भा.द.वि की केश डायरी प्रतिवेदन सहित प्रस्तुत।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश करना व्यक्त करते हुए निवेदन किया कि पुलिस थाना मालनपुर के द्वारा झूठी रिपोर्ट के आधार पर गलत मामला दर्ज कर लिया है, जबकि उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। मृतिका आवेदक तथा बच्चों को करीब 6 माह से छोड़कर प्रथम मालनपुर में निवास कर रही थी। आवेदक दिनांक 22.03.2017 से अभिरक्षा में है। आवेदक जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः आवेदक को उचित प्रतिभूति पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।</p> <p>आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है, उसके केवल मेमोरेण्डम के आधार पर झूठा फंसाया गया है और उसी आधार पर जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की है।</p> <p>प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर एक अन्य व्यक्ति के साथ मृतिका के घर पर जाकर चाकू से गला काटकर उसकी हत्या करने का आरोप है। प्रकरण में आवेदक की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त चाकू जप्त किया जाना दर्शाया गया है। प्रकरण में अभी अनुसंधान चल रहा है। आवेदक/अभियुक्त पर अपनी स्वयं की पत्नी की हत्या का गंभीर आरोप है।</p> <p>अतः प्रकरण में अभियुक्त/आवेदक पर लगाए गए आरोप व उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 निरस्त किया जाता है।</p> <p>आदेश की प्रति के साथ केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे।</p>	

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)  
अपर सत्र न्यायाधीश गोहद

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)